संख्या-1/2017/वे0आ0-1-207/दस-2017-5(एम)/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,

उ0प्र0लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांक:: 13 अप्रैल 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अंतर्गत अनुदान संख्या-65 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ब्यूरो-867/दस-2016-12(बजट)/88टी0सी0, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग के अधिष्ठान मद हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 88,54,000/- (रूपये अठ्ठासी लाख चौवन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए निम्नलिखित मदों में व्यय को वहन करने के लिये निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	**मानक मद**	**वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)**	**(अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) 05 माहों के लिए निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि (लाख रूपये में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	01-वेतन	164.74	68.64
2	03-महॅगाई भत्ता	8.24	3.43
3	04-यात्रा व्यय	1.00	0.41
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.20
5	06-अन्य भत्ते	16.00	6.66
6	07-मानदेय	1.10	0.45
7	08-कार्यालय व्यय	2.00	0.83
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.10	0.45
9	12-कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	0.30	0.12
10	13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.20
11	14-मोटर गाडियो का क्रय	0.10	0.04
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	2.91
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के	2.80	1.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	लिये भुगतान		
14	26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.30	0.12
15	29-अनुरक्षण	0.60	0.25
16	42-अन्य व्यय	0.50	0.20
17	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.12
18	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.20
19	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट्वेयर का क्रय	1.00	0.41
20	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	0.41
21	49-चिकित्सा व्यय	3.00	1.25
22	51-वर्दी व्यय	0.20	0.08
23	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	9.94	--
	योग:-	**222.72**	**88.54**

(रूपये अठ्ठासी लाख चौवन हजार मात्र)

(1) उपरोक्त सारणी के क्रमांक-23 पर अंकित "52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)" मद की धनराशि रूपये 9.94 लाख का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10(i) द्वारा इस मद की धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह अक्टूबर के पूर्व न किये जाने के कारण इसे (अप्रैल से अगस्त, 2017) पॉच माहों के निवर्तन पर नही रखी जा रही है।

(2) उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिए अधिकार प्रदान नही करता, अत: जहॉ कही आवश्यक हों, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखा शीर्षक-2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-05-अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-1/2017/वे0आ0-1-207(1)/दस-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।